सुरेश नंदा

बनाम

सी. बी. आई

(सीआरएल नं0 179/ 2008)

24 जनवरी, 2008

(पी. पी. नौलेकर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

पासपोर्ट अधिनियम, 1967:

एस. 10 (3) (ई)-- एनआरआई का पासपोर्ट एफ.आई.आर. में परिबद्घ करना - तलाशी कार्यवाही के दौरान पासपोर्ट अभिगृहीत किया गया - कोर्ट के आदेश से सी.बी.आई. द्वारा पासपोर्ट को रख लिया - अभिनिर्धारित किया: सी.बी.आई. द्वारा पासपोर्ट का रख लिया जाना स्पष्ट रूप से अवैध है, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के अनुरूपता में नहीं किया गया है और पासपोर्ट प्राधिकरण का आदेश अन्तर्गत धारा 10 (3) (ई) के तहत नहीं है या केन्द्रीय सरकार का परिबद्घ करने का आदेश अन्तर्गत धारा 10-ए नहीं है - कानून के मुताबिक पासपोर्ट प्राधिकरण के विधिसम्मत आदेश के बिना पासपोर्ट परिबद्घ नहीं किया जा सकता - पासपोर्ट अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है और सीआर.पी.सी. की धारा

104 एक सामान्य प्रावधान है, इसका मतलब यह है कि न्यायालय का किसी दस्तावेज अथवा सामान को परिबद्घ करने की शक्ति पासपोर्ट को वर्जित करती है - अभिव्यक्ति 'अभिगृहीत' और 'परिबद्घ' का अर्थ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 102 - और 104-क़ानूनों का निर्वचन।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 102 - पुलिस द्वारा दस्तावेज़ का अभिग्रहण-अभिनिर्धारित किया: पुलिस को पासपोर्ट अभिग्रहण करने की शक्ति हो सकती है, इसके पास अधिकार नहीं है उसी को बनाए रखें या परिबद्घ करे, क्योंकि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत पासपोर्ट प्राधिकरण के आदेश से ही परिबद्घ की जा सकती है - यदि पुलिस संहिता की धारा 102 के तहत एक पासपोर्ट अभिग्रहण करता है तो उसे पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पत्र के साथ भेजना पडेगा, जिसमें पासपोर्ट की क्यों परिबद्घ अन्तर्गत धारा 10 पासपोर्ट अधिनियम किया जाना आवश्यक है, बताना होगा - तब यह पासपोर्ट प्राधिकरण को तय करना है कि उसे परिबद्घ करना है या नहीं - पासपोर्ट मालिक को वापस किया जाना चाहिए -पासपोर्ट अधिनियम, 1967- धारा 10(3) (ई) और 10-ए।

शब्द और वाक्यांशः अभिव्यक्तियाँ 'अभिगृहीत' और 'परिबद्घ'- का अर्थ पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में।

सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामारत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी (1967) 3 एससीआर 525; मेनका गांधी बनाम संघ भारत और एक अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 248; दाम वालाजी शाह और अन्य बनाम एल. आई. सी. भारत सरकार एवं अन्य ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 135; गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य 1999 (7) एससीसी 76; और बेलसंड शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य ए. आई. आ. 1999 एससी 3125; और उड़ीसा राज्य बनाम बिनापानी देई ए.आई.आर. 1967 एससी 1269-संदर्भित।

पी. रामनाथ अय्यर का लॉ लेक्सिकन (दूसरा संस्करण); और जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक निर्वचन के सिद्धांत (9 वां संस्करण)-संदर्भित।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 179/2008

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली के सी.आर.पी. नं. 49/2007 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.02.2007 से उत्पन्न

हरीश एन. साल्वे, सिद्धार्थ लूथरा, मुकुल रोहतगी, संदीप कपूर, रुचिन मिधा, आर. एन. करंजावाला और माणिक करंजावाला अपीलार्थी की तरफ से।

ए. शरण, ए. एस. जी., ए. मारियारपुथम और बी. कृष्ण प्रसाद उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी पिछले 23 वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में बसे एक अनिवासी भारतीय होने का दावा करता है। दिनांक 10.10.2006 को 4, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली से अपीलार्थी का पासपोर्ट एक तलाशी की कार्यवाही में अन्य दस्तावेजों के साथ अभिगृहीत कर लिया गया, जब अपीलार्थी भारत आया था। उक्त तलाशी की कार्यवाही समाचार पोर्टल द्वारा किये गये 2001 में स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर दर्ज एफ आई आर दिनांक 09.10.2006 के अनुसार की गई थी। पासपोर्ट तलाशी के दौरान अभिगृहीत कर लिया गया था तथा सी.बी.आई. अधिकारी द्वारा रख लिया गया था। अपीलार्थी के द्वारा विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई., पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसका पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया गया था, जिससे कि वह विदेश लंदन और दुबई 15 दिनों की अवधि के लिए जा सके। विद्वान विशेष न्यायाधीश, दिनांक 15.1.2007 के आदेश के द्वारा अपीलार्थी की कुछ शर्तों के साथ पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया था। विद्वान विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. के आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने क्रिमिनल

रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.02.2007 के आदेश द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया और अपीलार्थी को पासपोर्ट जारी किये जाने से इन्कार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्घ यह अपील विशेष अनुमति याचिका के जरिये इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थी की तरफ से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को परिबद्घ करने की शक्ति और अधिकारिता पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत ही किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) (ई) को संदर्भित किया, जो निम्नानुसार हैः

> "(3) पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को परिबद्घ कर सकता है या करवा सकता है या रद्द करवा सकता है ।
>
> (e) अगर किसी पासपोर्टधारी अथवा यात्रा दस्तावेजधारी के विरूद्घ किसी अपराध में भारत के किसी क्रिमिनल कोर्ट में प्रक्रिया लम्बित है।

अधिनियम की धारा 10ए का भी उल्लेखित किया गया जो कि अधिनियम में अधिनियम 17/2002 के जरिये लाया गया था, जो कि 17.10.2001 से प्रभावी है।"

4. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सतवंत सिंह साहनी बनाम डी. रामारत्नम, सहायक पासपोर्ट अधिकारी (1967) 3 एस. सी. आर. 525 के मामले में इस न्यायालय की 5-न्यायाधीश पीठ के निर्णय का अवलम्ब लिया, जिसमें कि पैरा 31 में यह निर्धारित किया गया है-

"31: ऊपर वर्णित कारणों के लिए, हम केरल, बॉम्बे और मैसूर उच्च न्यायालयों के दृष्टिकोण को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दृष्टिकोण से ऊपर स्वीकार करते हैं। इसका यह मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय यात्रा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह विवादित नहीं है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के ऐसे अधिकार को विनियमित करने अथवा वंचित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था।"

5. इसी प्रकार के मत - मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 248 के मामले में पृष्ठ 280 पर इस न्यायालय की सात न्यायाधीश पीठ द्वारा दोहराया गया है । यह अभिनिर्धारित किया गया: ".....अब इस अदालत ने सतवंत सिंह (ऊपर) के मामले में यह फैसला सुनाया है कि 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' अनुच्छेद 21 के अर्थ के अधीन और इसके दायरे में विदेश जाने का अधिकार शामिल है और परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित विधिक प्रक्रिया के सिवाय इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमन से पूर्व व्यक्ति के विदेश जाने के अधिकार को विनियमित करने वाला कानून मौजूद नहीं था और इसी कारण से सतवंत सिंह (ऊपर) के मामले में याचिका के पासपोर्ट को जारी करने से मना किये जाने के पासपोर्ट अधिकारी के आदेश को अमान्य करार दिया गया था। अनुच्छेद 21 की भाषा से ऐसा देखा जा सकता है कि इसके द्वारा दी गई सुरक्षा सीमित है। यह व्यक्ति के विदेश जाने के अधिकार को कार्यपालिका के ऐसे हस्तक्षेप जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है, से सुरक्षा देता है और

कानून का यहॉ कानून का मतलब अधिनियमित कानून अथवा राज्य का कानून है देखें (ए के गोपालन केस)। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य द्वारा बनाया गया ऐसा कानून नहीं हो, जो कि ऐसी प्रक्रिया बताती हो जिसके तहत व्यक्ति को विदेश जाने से वंचित किया जा सके और ऐसा वंचित किया जाना उसी प्रक्रिया के कठोर अनुपालना में होना चाहिए....."

6. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हुए कहा गया कि धारा 102 दंड संहिता सपठित धारा 165 और 104 (इसके बाद "सीआर.पी.सी." के रूप में संदर्भित) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके पासपोर्ट को अभिगृहीत और परिबद्घ कर लिया गया था । उन्होंने आगे तर्क दिया कि सी. बी. आई. के लिए विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा धारा 104 सीआर.पी.सी के तहत पारित आदेश दिनांक 03.11.2006 की पालना करते हुए उचित रूप से पासपोर्ट को रखे गये हैं और परिबद्घ करने के अधिकार का उचित रूप प्रयोग किया गया है ।

7. अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) (ई) पोसपोर्ट परिबद्घ करने का प्रावधान करती है यदि किसी पोसपोर्ट धारी द्वारा अथवा यात्रा

दस्तावेजधारी द्वारा किसी अपराध के संबंध में भारत के किसी आपराधिक न्यायालय में प्रक्रिया लम्बित हो। इस प्रकार पासपोर्ट प्राधिकारी को पासपोर्ट परिबद्घ करने का अधिकार है। धारा 102 सीआर.पी.सी. पुलिस को किसी भी सम्पत्ति को अभिगृहीत करने का अधिकार देती है जिसके संबंध में यह संदेह हो कि वह चोरी से प्राप्त है या ऐसी परिस्थिति में मिलती है जिससे कि यह संदेह हो कोई अपराध कारित हुआ है। धारा 165 सीआर.पी.सी उपधारा (5) यह प्रावधान करती है कि उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) में बनाये गये रिकार्ड की प्रति तुरन्त अपराध के प्रसंज्ञान लेने की शक्ति रखने वाले नजदीकी मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए, जबकि धारा 104 सीआर.पी.सी. कोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह किसी दस्तावेज अथवा सामान जो उसके समक्ष लाया जाता है की परिबद्घ कर कर सकता है । धारा 165 सीआर.पी.सी. पोसपोर्ट की बात नहीं करता है, जिसको तलाशी के दौरान कब्जा किया गया हो जैसाकि इस केस में है । यह तलाशी में मिले दस्तावेज की बात नहीं करता है बल्कि उपधारा (1) और उपधारा (3) के तहत रिकार्डस की प्रति की बात करता है । परिबद्घ का मतलब कानून के संरक्षण में रखना है कोई स्पष्ट कार्यवाही होनी चाहिए जिससे यह पता चले कि दस्तावेज अथवा सामान को परिबद्घ किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्सनरी के अनुसार "परिबद्घ" का मतलब कानूनी या औपचारिक कब्जे में लेना है । इस प्रकरण में अपीलार्थी का

पासपोर्ट सी.बी.आई. के कब्जे में उसी दिन से था, जिस दिन से उसे कब्जे में लिया गया। जब हम 104 सीआर.पी.सी. और धारा 10 पासपोर्ट अधिनियम का एक साथ अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि सीआर.पी.सी. के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि किसी दस्तावेज या सामान को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, को परिबद्घ करने की शक्ति है, जबकि अधिनियम विशेष तौर पर पासपोर्ट को परिबद्घ करने की शक्ति देता है।

8. इस प्रकार, यह अधिनियम पासपोर्ट के मामले से संबंधित एक विशेष अधिनियम है, जबकि सीआर.पी.सी की धारा 104 कोर्ट को यह अधिकार देती है कि कोई दस्तावेज अथवा सामान जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, को परिबद्घ करे। जहॉ विशेष अधिनियम विशेष विषय के संबंध में कानून बनाता है वहॉ विशेष अधिनियम को काम में लिया जाना चाहिए, न कि सामान्य अधिनियम को, जो कि विशेष एक्ट से जुडे हुए विषय के संबंध में प्रावधान करता है। चूंकि पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, यह नियम कि "सामान्य प्रावधान विशिष्ट प्रावधान के आगे झुक जाना चाहिए "लागू किया जाना चाहिए। देखिएः दामजी वालाजी शाह और अन्य बनाम एल.आई.सी. भारत और अन्य [ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 135]; गोबिंद चीनी मिल्स लि. बनाम बिहार राज्य और अन्य

[1999 (7) एस. सी. सी. 76]; और बेलसंड शुगर कं. लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3125)।

9. यह अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है जबकि धारा 104 सीआर.पी.सी. किसी भी दस्तावेज़ या सामान को अभिगृहीत करने के लिए एक सामान्य प्रावधान है, यह प्रावधान पासपोर्ट के संबंध में सीआर.पी.सी. के धाराओं के प्रावधान पर प्रबल होगा। इस प्रकार आवश्यक निहितार्थ से न्यायालय को उसके समक्ष पेश दस्तावेज अथवा वस्तु परिबद्घ करने की शक्ति में पासपोर्ट शामिल नहीं है।

10. प्रस्तुत प्रकरण में एक्ट की धारा 10 जो कि पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज का परिवर्तन, परिबद्घन, रद्दीकरण का प्रावधान करता है, के तहत कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। धारा 10 A पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश का प्रावधान करता है; ऐसा दूसरा उचित आदेश जिसका पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज का चार सप्ताह से कम की अवधि के लिए अमान्य घोषित करने का प्रभाव होता है, यदि सेन्ट्रल गवरमेंट या उसकी तरफ से नियुक्त कोई अधिकारी को इस बात का समाधान हो जाता है कि जनहित में ऐसा किया जाना धारा 10 के सामान्य प्रावधान का अतिलंघन किये वगैर, किया जाना आवश्यक है, जबकि कोई व्यक्ति सेन्ट्रल गवरमेंट अथवा उसकी तरफ से नियुक्त कोई अधिकारी के पास पहुंचता है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है

कि अपीलार्थी के पासपोर्ट को पासपोर्ट प्राधिकरण के द्वारा विधि अनुसार आदेश के सिवाय परिबद्घ नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी (सी. बी. आई.) द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार पासपोर्ट को रखा नहीं गया है, क्योंकि पासपोर्ट परिबद्घ करने का प्रत्यर्थी द्वारा धारा 10 (3) (ई) के तहत केंद्र सरकार या धारा 10 A के तहत नामित किसी अधिकारी के द्वारा पासपोर्ट परिबद्घ करने का अधिनियम में निहित कोई आदेश नहीं है।

11. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पुलिस के पास सीआर.पी.सी. की धारा 102 (1) के तहत पासपोर्ट अभिगृहीत करने की शक्ति है, धारा 102 कहती है कि :

> "पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति अभिगृहीत करने की शक्ति --कोई भी पुलिस अधिकारी किसी ऐसी सम्पत्ति को, अभिगृहीत कर सकता है जिसके बारे में यह अभिकथन या संदेह है कि वह चुराई हुई है अथवा जो ऐसी स्थिति में पायी जाती है, जिसके बारे में अपराध किये जाने का संदेह हो।"

हमारी राय में, पुलिस को सीआर.पी.सी. की धारा 102 (1) के तहत पासपोर्ट अभिगृहीत करने की शक्ति हो सकती है, लेकिन उसे परिबद्घ

करने की शक्ति नहीं है। पासपोर्ट को परिबद्घ केवल पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा धारा 10 (3) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत किया जा सकता है।

12. यह उल्लेख किया जा सकता है कि दस्तावेज़ को अभिगृहीत करना और दस्तावेज़ को परिबद्घ करने के बीच एक अंतर है, अभिग्रहण एक विशेष क्षण में किया जाता है जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेता है, जो कि उसके कब्जे में नहीं था । इस प्रकार, कब्जा समय के एक विशेष क्षण में किया जाता है। हालांकि, यदि किसी संपत्ति अथवा दस्तावेज को कुछ समय के लिए रखा जाता है, फिर ऐसा प्रतिधारण संपत्ति को परिबद्घ करने के बराबर होता है। पी. रामनाथ अय्यर द्वारा लिखित लॉ लेक्सिकन (दूसरा) संस्करण) में , "परिबद्घ" शब्द को परिभाषित किया गया है "किसी सामान अथवा दस्तावेज को लेना तथा कानून के अनुसार उसे बनाये रखना है"। इस प्रकार, वास्तव में "परिबद्घ" शब्द का अर्थ है किसी वस्तु या दस्तावेज के कब्जे को बनाए रखना जिसे अभिग्रहण कर लिया गया है।

13. इसलिए, पुलिस के पास सीआर.पी.सी. की धारा 102 के तहत पासपोर्ट को अभिगृहीत करने की शक्ति हो सकती है, यदि सीआर.पी.सी. की धारा 102 के तहत अनुमत है, उसे पासपोर्ट को रखने अथवा परिबद्घ करने की शक्ति नहीं है क्योंकि ऐसा सिर्फ पासपोर्ट अधिनियम की धारा

10 (3) के तहत किया जा सकता है। इसलिए, यदि पुलिस पासपोर्ट सीआर.पी.सी. की धारा 102 अभिग्रहण करती है, ऐसा करने की उसे शक्ति है, इसके बाद पुलिस को इसे पासपोर्ट प्राधिकरण को एक पत्र के साथ भेजना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत वर्णित कारणों के कारण पासपोर्ट को परिबद्घ किया जाना है । इसके बाद पासपोर्ट प्राधिकरण का यह तय करने का काम है कि पासपोर्ट को परिबद्घ किया जाए या नहीं। चूंकि पासपोर्ट परिबद्घ किए जाने का दीवानी परिणाम है, पासपोर्ट परिबद्घ करने से पहले पासपोर्ट प्राधिकरण को संबंधित व्यक्ति को सुनने का एक अवसर देना होगा। यह स्थापित कानून है कि कोई भी आदेश जिसका दीवानी परिणाम हो पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर पारित किया जाना चाहिए। देखें उड़ीसा राज्य बनाम बिनापानी देई [एयर 1967 एससी 1269] ।

14. वर्तमान मामले में न तो पासपोर्ट प्राधिकरण का परिबद्घ करने का कोई आदेश पारित किया था और न ही पासपोर्ट परिबद्घ करने के लिए अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर दिया गया था। यह केवल सीबीआई प्राधिकरण था जो पासपोर्ट को अक्टूबर, 2006 से कब्जे में बनाए रखा (जो सार में परिबद्घ है)। हमारी राय में, यह स्पष्ट रूप से अवैध था। अधिनियम की धारा 10ए के तहत केवल चार सप्ताहों के लिए केंद्र

सरकार पासपोर्ट रख सकता है। इसके बाद पासपोर्ट प्राधिकरण के आदेश द्वारा इसे धारा 10 (3) के तहत ही रखा जा सकता है।

15. हमारी राय में, अदालत भी पासपोर्ट को परिबद्घ नहीं कर सकती है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीआर.पी.सी. की धारा 104 में कहा गया है कि न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो उसके समक्ष प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज या चीज़ को परिबद्घ कर सकता है, हमारी राय में, यह प्रावधान केवल न्यायालय पासपोर्ट के अलावा किसी भी दस्तावेज या चीज़ को परिबद्घ करने के लिए सक्षम बनाता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि "पासपोर्ट" को परिबद्घ करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) में प्रावधान किया गया है। पासपोर्ट अधिनियम एक विशेष कानून है, जबकि सीआर.पी.सी. एक सामान्य कानून है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विशेष कानून सामान्य कानून पर हावी है। देखें जी. पी. सिंह के सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (9वां संस्करण पृष्ठ) 133)। यह सिद्धांत उक्ति - "जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट" में व्यक्त किया गया है। इसलिए, सीआर.पी.सी. की धारा 104 के तहत अदालत द्वारा पासपोर्ट को परिबद्घ नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह किसी अन्य दस्तावेज़ या चीज़ को परिबद्घ कर सकता है।

16. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हैं और प्रत्यर्थी को निर्देश देते हैं कि आज से एक सप्ताह के

भीतर अपीलार्थी को पासपोर्ट सौंप दे। हालांकि, प्रत्यर्थी को विधि अनुसार इस बात की छूट होगी कि वह अपीलार्थी के पासपोर्ट को परिबद्घ कराने के लिए धारा 10 के अनुसार पासपोर्ट प्राधिकरण अथवा धारा 10 ए के तहत प्राधिकारी से संपर्क कर सकेगा ।

17. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई राय और निर्णय नहीं दे रहे हैं और न ही इस बात का फैसला कर रहे हैं कि पासपोर्ट का परिबद्घ किया जाना जमानत दिये जाने की शर्त होगी।

18. अपील का तदनुसार निपटारा किया जा रहा है।

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अखिलेश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।